05.12.24

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थी-
व राज पैरोकार उप.। बाद बारीकी अवलोकन
किया गया है विस्तृत निर्णय लिखाया
जाकर शामिल किया जाकर डिक्री जारी हो।
नियम से कार्य हो।

Gems
2022/9

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:41:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

दावा सख्या :– 287/2022 GCMS:-2022/9 दायरा दिनांक :– 17.10.2022

गोगी देवी उर्फ सुनीता पुत्री लालुराम पत्नी राजकुमार जाति भाट निवासी 15 एस0टी0बी0 तहसील सूरतगढ़ हाल निवास हिसार तहसील व जिला हिसार (हरियाणा)।

– वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

– प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–207–209 आर.टी.ए.

उपस्थित :–

1. अमित कुमार सैनी एडवोकेट – वादी
2. पैरोकार राज – प्रतिवादी

–:: निर्णय ::– **दिनांक** –05.12.24

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वादी ने यह दावा पेश कर निवेदन किया है कि वादीया के नाम से सयुक्त खाता में चक 15 एस.टी.बी. की जमाबन्दी संवत 2076 ता 2079 के खाता न. 33/28 के पत्थर न0 34/322(53) में 1 ता 25 में 6.325 हैक नहरी, अनकमाण्ड मय गै.मु.रास्ता भुमि में वादीया का 24/575 हिस्सा भुमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जो वादीया को पिता के फौत होने के पश्चात विरास्तन इन्तकाल से प्राप्त है। वादीया को घरेलु भाषा में गोगी देवी के नाम से जाना जाता है। विरास्तन इन्तकाल दर्ज करते समय पटवारी हल्का सुनीता की जगह घरेलु नाम गोगी दर्ज कर दिया है। जबकि वादीया का अन्य सभी दस्तावेजो जैस राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता, वोटर कार्ड इत्यादि दस्तावेजो में सुनीता नाम ही दर्ज चला आ रहा है। वादीया के नाम गोगी देवी उर्फ सुनीता दर्ज करने से सहकाश्तकारो पर किसी तरह का कोई प्रभाव नही पडेगा। इसलिए वादीया का नाम तहसील सूरतगढ़ के चक 15 एस.टी.बी. की जमाबन्दी संवत 2076 ता 2079 के खाता न. 38/28 के पत्थर न. 34/322(53) के 6.325 हैक नहरी, अनकमाण्ड मय गै.मु.रास्ता भुमि में 24/575 हिस्सा भुमि में गोगी देवी के स्थान पर गोगी देवी उर्फ सुनीता नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:41:41 IST
Reason: SelfAttested

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये साधारण एवं पंजीकृत सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली तलबी होकर दिनांक 06.01.2023 को पेश हो। दिनांक 06.01.2023 को वास्ते जबाब स्टेट पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

दिनांक 31.01.2023 को पेश हो। दिनांक 21.03.2023 को जबाब स्टेट पेश किया गया। पत्रावली में तनकीयात निम्मानुसार कायम की गई :—

1. आया वादीया के नाम से चक 15 एस टी बी के खाता न. 38/28 की जमाबन्दी संवत 2076 ता 79 खाता आत्माराम वगैरा के पत्थर न. 34/322 मु0 53 में 2.108 हैक में 1/8 हिस्सा (24/575 हिस्सा) कमाण्ड/अनकमाण्ड मय गै.मु.रास्ता राजस्व रिकार्ड दर्ज होने से वादीया उक्त भुमि कि रिकार्डड खातेदार है ?

— वादीया

2. आया कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादीया का नाम गोगीदेवी दर्ज है जबकि अन्य दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता, पहचान पत्र में वादीया नाम सुनीता दर्ज है ?

— वादीया

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

3. आया कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व अन्य दस्तावेजो में नाम की भिन्नता होने के कारण वादीया राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अपना नाम गोगी देवी उर्फ सुनीता दर्ज करवाने की अधिकारी है ?

— वादीया

तनकीयात कायम की जाकर व्याख्या की गई। वास्ते साक्ष्य वादी पत्रावली दिनांक 14.06.2023 को पेश हो। दिनांक 24.07.2023 वादीया ने उपस्थित होकर साक्ष्य वादी ब्यान शपथ पत्र पेश किये, शामिल मिसल रहे। जिरह साक्ष्य वादीया NILL रही। वादीया साक्ष्य और नही कराना चाहती है। साक्ष्य वादीया बन्द किये जाते है। साक्ष्य प्रतिवादी भी नही कराना चाहते है, साक्ष्य प्रतिवादी भी बन्द किये जाते है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 06.12.2023 को पेश हो। उभयपक्ष की बहस सुनी जाने के पश्चात निम्न से तनकी वार निर्णय किया जाता है।

तनकी न. 1 :— इस तनकी को साबित करने का भार वादीया पर है। वादीया के पिता के र्स्वगवास होने के बाद उक्त भूमि चक 15 एस टी बी के खाता न. 38/28 की जमाबन्दी संवत 2076 ता 79 खाता आत्माराम वगैरा के पत्थर न. 34/322 मु0 53 में 2.108 हैक में 1/8 हिस्सा (24/575 हिस्सा) कमाण्ड/अनकमाण्ड मय गै.मु.रास्ता व वादीया के भाई, बहीनो के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज हुई है। इसलिए इस तनकी का निर्णय बहक वादीया किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:41:41 IST
Reason: SelfAttested

तनकी न. 2 :— इस तनकी को साबित करने का भार वादीया पर है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादीया का नाम गोगीदेवी दर्ज है जबकि अन्य दस्तावेज राशन

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता, पहचान पत्र में वादीया नाम सुनीता अंकित है। इसलिए इस तनकी का निर्णय बहक वादीया किया जाता है।

तनकी नं. 3 :– इस तनकी को साबित करने का भार वादीया पर है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व अन्य दस्तावेजो में नाम की भिन्नता होने के कारण वादीया राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अपना नाम गोगी देवी उर्फ सुनीता दर्ज करवाने की अधिकारी है। इसलिए इस तनकी का निर्णय बहक वादी किया जाता है।

अतः वाद वादीया स्वीकार कर संयुक्त खाता में चक 15 एस.टी.बी. की जमाबन्दी संवत 2076 ता 2079 के खाता न. 33/28 के पत्थर न0 34/322 (53) में 1 ता 25 में 6.325 हैक नहरी, अनकमाण्ड मय गै.मु.रास्ता भुमि में वादीया का 24/575 हिस्सा भुमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड में वादीया का नाम गोगी के स्थान पर गोगी उर्फ सुनीता पुत्री लालुराम जाति भाट दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है व राजस्व रिकार्ड मे इसी अनुसार अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

फैसला सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:41:41 IST
Reason: SelfAttested

–: डिकी ब मुक्द्दम इख्तदाई :–

(ओ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

बअदालत उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक जिलाधीश, सूरतगढ़

बइजलास – सन्दीप कुमार आर.ए.एस.

गोगी देवी उर्फ सुनीता पुत्री लालुराम पत्नी राजकुमार जाति भाट निवासी 15 एस0टी0बी0 तहसील सूरतगढ़ हाल निवास हिसार तहसील व जिला हिसार (हरियाणा)।

– वादीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

– प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 207, 209 आरटीए मुकदमा नं. 287/2022 यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कितई रूबरू हमारे हाजिर वकील वादीया श्री अमित कुमार सैनी एडवोकेट व जबाब स्टेट पेश होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

अतः वाद वादीया स्वीकार कर संयुक्त खाता में चक 15 एस.टी.बी. की जमाबन्दी संवत 2076 ता 2079 के खाता न. 33/28 के पत्थर न0 34/322 (53) में 1 ता 25 में 6.325 हैक. नहरी, अनकमाण्ड मय गै.मु.रास्ता भुमि में वादीया का 24/575 हिस्सा भुमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड में वादीया का नाम गोगी के स्थान पर गोगी उर्फ सुनीता पुत्री लालुराम जाति भाट दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है व राजस्व रिकार्ड मे इसी अनुसार अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आज ....x........... मुबलिग ....x........... बाबत् ....x........... खर्चा इस मुकदमें मय शूद्व बशरह ....x........... कस्दो की पालना ....x........... आज कि तारीख से तारीख बसूलया वो ताकी अदा करे

बसिब्त मेंरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 05.12.24 को जारी की गयी।

(सन्दीप कुमार)

उपखण्ड अधिकारी

सूरतगढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी

सूरतगढ़।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:41:41 IST
Reason: SelfAttested